न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारी–राजकोश मीणा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:– 25 / 2022

प्रार्थीगण:–

रेवंतसिंह पुत्र श्री किशनसिंह , जाति राजपूत, निवासी जेलू तहसील तिंवरी

अप्रार्थीगण:–

बनाम

1 बुधसिंह पुत्र श्री मूलसिंह
2 जुगतसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
3 जेठूसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
4 दलूकंवर पत्नी श्री सुजानसिंह
5 नारायणसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
6 राणूसिंह पुत्र श्री मालमसिंह
7 रावतसिंह पुत्र श्री मालमसिंह
8 सुमेरसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
9 हरिसिंह पुत्र श्री अमानसिंह फौत के कायम मुकाम
9/1 दुर्गा पुत्री श्री हरिसिंह
9/2 उगमा पत्नी श्री हरिसिंह
10 रतनसिंह पुत्र श्री अमानसिंह
11 कालूसिंह पुत्र श्री अमानसिंह
12 हरीसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
जाति राजपूत, निवासी जेलू तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर
13 श्रीमान् तहसीलदार, तिंवरी

प्रार्थना पत्र 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– प्रार्थीगण की ओर से– अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़
अप्रार्थी संख्या 1 से 6 और 10, 11 की ओर से– अधिवक्ता श्री अमर सिंह
अप्रार्थी संख्या 7 से 9/2 व 12 के विरूद्व एकपक्षीय

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 7/9/22

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया किः– प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 703 रकबा 4.0792 किस्म बारानी प्रथम, ग्राम जेलू तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है, जिस पर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि के दक्षिणी सीमा पर अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा नंबर 704 रकबा 0.0567 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 705 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नंबर 706 रकबा 2.9785 हैक्टेयर मौजा ग्राम जेलू

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with OKEN Scanner

तहसील तिंवरी की सरहद में आई हुई है। प्रार्थी की उक्त भूमि की दक्षिणी सीमा में अप्रार्थीगण ने दखलंदाजी करनी शुरू कर दी तथा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने के आशय से मौके पर विधमान सीमा को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया तब प्रार्थी ने अपनी भूमि की पैमाईश हेतु एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार तिंवरी के समक्ष प्रस्तुत किया है जिस पर तहसीलदार तिंवरी ने आदेश क्रमांक 66/11.12.2020 पारित किया जिसकी अनुपालना में हल्का पटवारी जेलू गगाडी मौके पर पहुंच कर मौके पर उपस्थित पक्षकारान की मौजूदगी में प्रार्थी की भूमि का सीमांकन किया तथा सीमा चिन्ह बताये गए। हाल ही में दिनांक 25.01.2022 को उपरोक्त सीमांकन अनुसार जब प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि की तारबंदी करने हेतु सीमांकन में बताये निशान अनुसार पत्थर रोपने शुरू किये तो अप्रार्थीगण ने मौके पर आकर प्रार्थी को पत्थर रोपने से मना कर दिया तथा रोपे गये पत्थरों को गिरा दिया और एलानिया कहा कि यह पूर्व में किये गये सीमांकन को हम नहीं मानते हैं हम इस सीमांकन अनुसार मौके पर तारबंदी नहीं करने देंगे इस प्रकार अप्रार्थीगण बिना किसी कारण के प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के बीच की सीमा को लेकर विवाद खडा कर दिया है जिसका निस्तारण केवल मात्र पत्थरगढ्ढी आदेश से ही होना सम्भव है। इसलिए प्रार्थी ने मजबुरन यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ्ढी का श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित भूमि ग्राम जेलू तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है जिसके बाबत पत्थरगढ्ढी प्रार्थना पत्र का श्रवण कर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 और 10, 11 की ओर से– अधिवक्ता श्री अमर सिंह ने वकालातनामा पेश किया व अप्रार्थी संख्या 1, 3, 5, 10 की ओर से जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2, 4, 6, 11 का जवाब बंद किया जाता है।

बहस सुनी गई प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की सीमाओं को खुर्दबुर्द कर रहे है इसलिए पेमाइश करवाकर पत्थरगढी कार्यवाही करवाई जावें। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के बीच की सीमा स्पष्ट रूप से कायम है न ही सीमा का कोई किसी प्रकार का विवाद है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का 15–20 वर्ष पूर्व सीमांकन करवाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य की सीमा पर प्रार्थी द्वारा करीब 5.5 फीट ऊंची दीवार बनवाई हुई है जो वर्तमान में भी मौके पर विधमान है। अप्रार्थी द्वारा मौके पर विधमान सीमा को खुर्द करने के तथ्य सरासर गलत अंकित किये गये है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का वर्तमान में कभी भी सीमांकन नहीं करवाया, न ही इस प्रकार के सीमांकन बाबत अप्रार्थीगण को कोई सूचना या नोटिस दिया गया प्रार्थी ने जो सीमांकन फर्द प्रस्तुत की है उस पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है यह सीमांकन फर्द मात्र प्रार्थी के कहे अनुसार बनाई गई है। जब प्रार्थी व अप्रार्थीगण जवाब देहिता के मध्य की सीमा पर पहले से दीवार बनी हुई है तो प्रार्थी ने सीमा पर तारबन्दी करने व अप्रार्थीगण द्वारा पत्थर रोपने से मना करने व रोपे गये पत्थरों को गिराने के तथ्य सरासर गलत अंकित किये है। इस प्रकार प्रार्थी को पत्थरगढी करने का कोई अधिकार नहीं है।

बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 703 रकबा 4.0792 किस्म बारानी प्रथम, ग्राम जेलू तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है, हैक्टेयर, खसरा नम्बर 703 रकबा 4.0792 किस्म बारानी प्रथम, ग्राम जेलू तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है, में खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी चाही गई है प्रार्थीगण को उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

--::आदेश::--

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 703 रकबा 4.0792 किस्म बारानी प्रथम, ग्राम जेलू, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है,टीम गठित की जाकर पेमाइश करवाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है पत्थरगढी के वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 7/9/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with OKEN Scanner